रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2014/भाद्र 10, 1936
No. 458] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2014/BHADRA 10, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 629(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पच्चीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. कोई आक्षेपों या सुझावों, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 96 के उपनियम (9) के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iv). खंड (ii) और खंड (iii) में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व विनिर्मित यानों के निम्नलिखित प्रवर्गों में भा.मा. : 11852 : 2003 (भाग 9) के अनुरूप प्रति एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली लगानी होगी --

(क) परिसंकटमय मालों और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वहन करने के लिए बनाए गए 1 अक्तूबर, 2006 को या उसके पश्चात् विनिर्मित ट्रैक्टर - ट्रैलर संयोजन से भिन्न यानों के एन3 प्रवर्ग ;

(ख) 1 अक्तूबर, 2007 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के एन3 प्रवर्ग, जो दो मंजलीय परिवहन यान हैं ;

(ग) 1 अक्तूबर, 2007 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के एन3 प्रवर्ग, जो ट्रैक्टर - ट्रैलर संयोजन के रूप में उपयोग होते हैं ;

(घ) 1 अक्तूबर, 2007 को या उसके पश्चात् विनिर्मित बसों के एम3 प्रवर्ग, जो अखिल भारतीय परिवहन परमिट पर चलते हैं ;

[फा.सं. आरटी-11028/20/2006-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 602(अ) , तारीख 21 अगस्त, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2014

G.S.R. 629(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of twenty five days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st October, 2014.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 96, in sub-rule (9), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) the following categories of vehicles manufactured prior to the dates specified in clauses (ii) and (iii) shall be fitted with Anti-lock Braking System conforming to IS: 11852:2003 (Part 9)-

(a) N3 categories of vehicles other than tractor-trailer combination manufactured on and after the 1st day of October, 2006 meant for carrying hazardous goods and liquid petroleum gas;

(b) N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2007, that are double decked transport vehicles;

(c) N3 categories of vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2007, that are used as tractor-trailer combinations;

(d) M3 categories of buses that ply on All India Tourist Permit, manufactured on and after the 1st day of October, 2007."

[F. No. RT-11028/20/2006-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 602(E) dated the 21st August, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.